



2026:AHC:49392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5562 वर्ष 2026

सीताराम जायसवाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा

प्रत्यर्था के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान रिट याचिका में, प्रत्यर्था संख्या 7- विनोद कुमार द्वारा यू.पी. रेवेन्यू कोड, 2006 की धारा 38(1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रत्यर्था संख्या 3- उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.), हंडिया, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2025, और साथ ही कोड, 2006 की धारा 104/105 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा पारित परिणामी आदेश दिनांक 17.01.2026 को चुनौती दी गई है।
- उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच यह स्वीकार किया गया है कि कोड, 2006 की धारा 38(1) के तहत कार्यवाही में प्रत्यर्था संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास कोड, 2006 की धारा 38 की उप-धारा (4) के तहत अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के पास वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”